## PRESS RELEASE

## BIS Raid on Helmet Manufacturing Unit

Bureau of Indian Standards (BIS), Delhi Branch Office-I conducted an enforcement raid at the premises of M/s R. Star Enterprises at Plot No. 8, Khasra No. 35/14 & 15/1, Suleman Nagar, Nithari Ext., Kirari, Delhi-110041. The firm was manufacturing Helmets without having valid BIS Certification licence under brand names "R. Star" and 'Rocking" with CM/L-8100017593 as per IS 4151:1993 violating Section 17 (3) of BIS Act 2016 which is a punishable offence.

The raid team also seized substantial quantity of helmets at the unit.

## प्रैस रिलीज़

## भारतीय मानक ब्यूरो ने हेलमेट के निर्माण की इकाई पर छापा मारा

भारतीय मानक ब्यूरो (भामाब्यूरो), दिल्ली शाखा कार्यालय-1 ने 06 जून 2018 को मैसर्स श्री आर. स्टार एंट्रप्राइज़िज के प्लाट न. 8, खसरा न. 35/14 तथा 15/1, सुलेमान नगर, निठारी, किराड़ी, दिल्ली-110041 स्थित परिसर पर प्रवर्तन संबंधी छापा मारा। यह इकाई भामाब्यूरो के वैध लाइसेंस के बिना आई एस 4151 : 1993 के अनुसार "आर. स्टार" तथा "राकिंग" ब्रांड नाम से सीएम/एल-8100017593 के साथ हेलमेट का निर्माण कर रही थी, जो भामाब्यूरो अधिनियम 2016 की धारा 17 (3) का उल्लंघन है जोकि एक दंडनीय अपराध है।

उपरोक्त छापे के दौरान, टीम ने इकाई से भारी मात्रा में हेलमेट ज़ब्त किये।